न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 243/2016 दायरा दिनांक : 15.06.2016

उनवान

भगवान लाल पुत्र भैरोलाल, जाति छीपा, निवासी 253 जगजीवनराम नगर, पाटनीपुरा चौराहा इन्दौर (मध्यप्रदेश)

.... अपीलांट

बनाम

1— अशोर पुत्र गोविन्द प्रसाद उम्र 40 वर्ष, जाति छीपा, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— लक्ष्मण पुत्र गोविन्द प्रसाद उम्र 35 वर्ष, जाति छीपा, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— महेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल उम्र 34 वर्ष, जाति छीपा, निवासी 256 जगजीवनराम नगर, पाटनीपुरा चौराहा इन्दौर (मध्यप्रदेश)

4— गोपाल पुत्र मदन लाल उम्र 25 वर्ष, जाति छीपा, निवासी 253 जगजीवनराम नगर, पाटनीपुरा चौराहा इन्दौर (मध्यप्रदेश)

5— माधुरी पुत्री मदनलाल पत्नी गोपेाल सिंह उम्र 28 वर्ष, जाति छीपा, निवासी 352/3 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश)

6— गोविन्द प्रसाद पुत्र भैरोलाल, जाति छीपा, निवासी देवरी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

7— मदन लाल पुत्र भैरोलाल, जाति छीपा, निवासी 256 जगजीवनराम नगर पाटनीपुरा चौराहा इन्द्रौर (मध्यप्रदेश)

8— गणेशी पत्नी मन्नू पुत्री भैरोलाल, उम्र 62 वर्ष, जाति छीपा, निवासी 352/3 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश)

9— स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या — 4/2016 निर्णय दिनांक 11.04.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देवरी में खसरा नम्बर 622 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 624/1857 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 14 बिस्वा आराजी भगवानलाल, गणेशी के नाम दर्ज है और ग्राम देवरी में ही खसरा नम्बर 482 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 2 किता की 6 बीघा 4 बिस्वा अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । इन आराजियात के मूल खातेदार प्रार्थीगण के दादा जी भैरू लाल थे जिनके खाते में खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 625 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 622 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 624/1857 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज थी । इसके खसरा नम्बर 622 रकबा 0.0026 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.238 हेक्टर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.112 हेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवाप्त हो चुकी है और अवाप्ति के बाद आराजी खसरा नम्बर 622 रकबा 4 बिस्वा, खसरा

नम्बर 482 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 625 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 624/1857 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी के खाते में दर्ज है । आराजी प्रार्थीगण की पैतृक है जिसमें जन्म से ही प्रार्थी का हित निहित है । अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया है । अप्रार्थी नम्बर 2, 3 को इस प्रकार का अन्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि आराजी पैतृक है । प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि ता फैसला दावा वादग्रस्त आराही को रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आराजी के बाबत गोविन्द प्रसाद, मदन लाल ने अपना हिस्सा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपीलांट के पक्ष में तर्क कर दिया है । नामान्तरकरण संख्या 400 स्वीकृत हो चुका है । अपीलांट 2003 से वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक

अपीलांट है । गोविन्द प्रसाद और मदन लाल ने अपीलांट के पक्ष में त्याग कर दिया है । आराजी पर कब्जा अपीलांट का है । रेस्पोडे।ट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत 2066–69 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी भगवान, गणेशी एवं भगवान के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 के अनुसार दो किता की 8 बीघा 8 बिस्वा आराजी गोदाराम, मदन लाल, भगवान के नाम दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1400 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 के अनुसार दो किता की 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी गोविन्द प्रसाद, भगवान लाल, मदन लाल और गणेशी के नाम दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 1400 का नोट अंकित है । पत्रावली पर सैटलमेंट विभाग की जमाबंदी सम्वत 2020–37 का फोटो प्रति सलंग्न है जिसमें भैरू लाल के खाते में आराजी दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 1400 की फोटो प्रति भी पत्रावली में सलंग्न की गई है जिसके अनुसार गोविन्द प्रसाद और मदन लाल ने अपना हक त्याग भगवान लाल के पक्ष में किया है और नामान्तरकरण संख्या 748 की फोटो प्रति भी सलंगन हे जिसके अनुसार भैरू की मृत्यु पर आराजी गोवनिछ प्रसाद, भगवान लाल और गणेशी पुत्री भैरू के नाम दर्ज हुई है ।

अपीलांट के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन करते हुए अपील पेश की गई है कि गोविन्द प्रसाद और मदनलाल जी रेस्पोडेंट के पिता थे उनके द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग अपीलांट के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र किया था और नामान्तरकरण संख्या 1400 इस

आधार पर स्वीकृत हो चुका था कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलांट हैं । अस्थायी निषेधाज्ञा गलत रूप से जारी की गई है । रेस्पोडेंटगण ने यह कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है और उनके पिता गोविन्द प्रसाद एवं मदन लाल को सम्पूर्ण आराजी को हक त्याग करने का कोई अधिकार नहीं था । इस कारण अपीलांट को रहन बेचान से रोका जाये । रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में भैरो के खाते की नकल जमाबंदी की फोटो प्रति भी पेश की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है अथवा नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा, इस स्टेज पर नहीं । परन्तु वादग्रस्त आराजी के बाबत पक्षकारों में वाद लम्बित है और दौराने दावा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्राथ्रीगण स्वीकार कर अपीलांट अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द न करें , जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा